# न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

**अपील संख्या :– 150/2023 (धारा 76 भू–राज0अधि01956) (RCMS No.2023/170)**

रामफूल पुत्र धनपाल जाति मीना निवासी एण्डवा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर।

.............अपीलान्टस

बनाम

1. धनपाल पुत्र अर्जुनलाल मीना निवासी एण्डवा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर।
2. तहसीलदार तहसील सवाईमाधोपुर।

............. रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर दिनांक 4.8.2015 व सिलसिले नामान्तर करण संख्या 465 वाकै ग्राम एण्डवा तहसील सवाईमाधोपुर 6.1.1983

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

उपस्थितिः–

1. श्री श्याम मोहन शर्मा वकील अपीलान्ट
2. श्री भोलाशंकर शर्मा वकील रैस्पोडेन्ट

## निर्णय

दिनांकः– 31.01.2024

उक्त द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 04.08.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा खातेदार श्योनारायण पुत्र कानाराम मीना के मृत्योपरान्त विरासतन नामानतरकरण संख्या 465 दिनांक 06.01.1983 को रैस्पोडेन्ट संख्या 1 धनपाल व अपीलान्ट रामफूल के नाम स्वीकार किया गया। इस विरासतन नामान्तरकरण संख्या 465 से व्यथित होकर अपीलान्ट के द्वारा यह कहते हुये कि तहसीलदार सवाईमाधोपुर के द्वारा उक्त विरासतन नामान्तरकरण गलत स्वीकार किया गया है, क्योंकि मृतक खातेदार श्योनाराण का एक मात्र पुत्र अपीलान्ट रामफूल है इसलिऐ नामान्तरकरण संख्या 465 पर केवल अपीलान्ट रामफूल का ही नाम दर्ज किया जावे। तहत अदालत जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.08.2015 पारित कर अपील अपीलान्ट के तथ्यों को अस्वीकार करते हुये परीक्षण न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण 465 को यथावत रखते हुये अपील खारिज की दी गई। अपीलान्ट के द्वारा जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के इस आदेश दिनांक 4.8.2015 के खिलाफ द्वितीय अदालत हाजा में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए लिखित बहस पेश करते हुए तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश

दिनांक 04.08.2015 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। मातहत अदालत द्वारा विवादित नामान्तरकण तस्दीक करने से पूर्व विवादित आराजी के संबध में न तो वास्तविक तथ्यों की जांच की गई और न ही किसी प्रकार का मौका देखा गया जबकि नामान्तरकरण नियमों के तहत आराजी के मौके कब्जे की जांच किया जाना आवश्यक है। अपीलाधीन नामान्तकरण तहसीलदार द्वारा क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर खोला गया है, क्योंकि विरासत का नामान्तकरण खोले जाने की अधिकारिता ग्राम पंचायत को है। नामान्तकरण नियमों में यह प्रावधान किया हुआ है कि नामान्तकरण भरने हेतु पटवारी के लिए 7 दिन, भू अभिलेख निरीक्षक के स्तर पर जॉच करने हेतु 10 दिन की अवधि निर्धारित है तथा पंचायतों के लिए नामान्तकरण तस्दीक करने की पूर्ण अवधि उन्हें नामान्तकरण प्राप्त होने के दिन से 45 दिन की है। 45 दिन होने के बाद ही विरासत के नामान्तकरण को खोलने का तहसीलदार को अधिकार प्राप्त होता है। इसलिए अपीलाधीन नामान्तकरण क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण निरस्तनीय है। उक्त प्रकरण में एक ही दिन में समस्त कार्यवाही की गई है। अर्थात् पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 06.01.83 को नामान्तकरण खोला गया। भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 06.01.83 को जॉच की गई व तहसीलदार द्वारा दिनांक 06.01.83 को ही नामान्तकरण तस्दीक किया गया, जो विधिविरूद्ध व क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त प्रकरण में मृतक खातेदार श्योनारायण पुत्र कानाराम जाति मीना के फौत होने पर उसकी खातेदारी की भूमि का विरासत एक मात्र पुत्र अपीलान्ट रामफूल के नाम दर्ज किया जाना चाहिए था, किन्तु बिना किसी समुचित जांच एवं आधार के विधि के विपरीत जाकर रैस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट के पिता श्योनारायण का स्वयं को पुत्र बताकर अपने नाम दर्ज करवा लिया गया है। जबकि अपीलान्ट के पिता का नाम श्योनारायण व धनपाल के पिता का नाम अर्जुन है। जिसकी पुष्टि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत जमाबन्दी से भलीभांति हो रही है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि नामान्तकरण नियमों के तहत अपीलान्ट को सुनवाई का नोटिस जारी किया जाना चाहिए था तथा मृतक के वारिसान को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद निर्णय पारित करना चाहिए था, लेकिन तहसीलदार की ओर से न तो अपीलान्ट को कोई नोटिस दिया गया और न ही किसी प्रकार के कोई मौका व कब्जे की जॉच की गई। विवादित भूमि पर अपीलान्ट बतौर मृतक खातेदार श्योनारायण के वारिस के रूप में काबिज रहकर काश्त कर रहा है। इस आधार पर भी अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। इसी प्रकार न तो पटवारी हल्का ने किसी प्रकार की कोई विरासत की जॉच की और न ही तहसीलदार ने भी नामान्तकरण स्वीकृत करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई जॉच नहीं की। उक्त प्रकरण में नामान्तकरण नियम 121 से 127 में वर्णित प्रावधानों की पालना नहीं की गई। राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना दिनांक 04.09.82 के अनुसार नामान्तकरण प्राप्ति के दिनांक से 45 दिन की अवधि में ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण तस्दीक नहीं किये जाने पर पंचायत की अधिकारिता समाप्त हो जावेगी तथा तहसीलदार अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए ऐसे विचाराधीन

कार्यालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

नामान्तकरण को पंचायत से मंगवाकर स्वयं तस्दीक करेगा, परन्तु उक्त प्रकरण में तहसीलदार द्वारा 45 दिन की अवधि पूर्व होने से पूर्व ही अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकृत किया है, जो कि राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के विरूद्ध है। उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 06.01.1983 को नामान्तकरण खोला गया। दिनांक 06.01.83 को ही भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा जॉच की गई व दिनांक 06.01.83 को ही तहसीलदार द्वारा नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया। इस दौरान समस्त कार्यवाही 1 दिन में ही रैस्पोडेन्ट से मिलीभगत कर सम्पादित की गई है, जो कि प्रारम्भ से शून्य प्रभाव लिये हुए है तथा शून्य प्रभाव लिये हुए आदेश पर किसी भी व्यक्ति को हक प्राप्त नहीं होते हैं। अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित व क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण निरस्तनीय है, परन्तु इस तथ्य को विद्वान जिला कलक्टर द्वारा भी अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय नहीं देखा गया। इस आधार पर भी अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। अपीलान्ट की ओर से जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में जो अपील पेश की गई थी, उस अपील को यह मानते हुए खारिज किया गया है कि दोनों पक्षों के बीच किसी न्यायालय द्वारा विस्तृत विवेचन कर निर्णय एवं डिक्री कर दी जाती है तो उस स्थिति में नामान्तकरण की कार्यवाही जो समरी ट्रायल के अन्तर्गत आती है, सक्षम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिक्री के विरूद्ध अपील (नामान्तकरण) में निर्णय दिया जाना विधि अनुरूप नहीं माना गया है, जो कि गलत है, क्योंकि तहसीलदार की ओर से नामान्तकरण संख्या 464 दिनांक 06.01.1983 किसी न्यायालय की ओर से पारित डिक्री के आधार पर नहीं खोला जाकर विरासत का नामान्तकरण खोला गया है। विरासत का नामान्तकरण खोलने से पूर्व वारिसान के संबंध में जॉच किया जाना आवश्यक है, जो कि उक्त प्रकरण में नहीं की गई है, क्योंकि अपीलाधीन नामान्तकरण को सरसरी दृष्टि से देखने से ही स्पष्ट है कि धनपाल का नाम ऐरो लगाकर ऊपर की तरफ बाद में अंकित किया गया है। रैस्पोडेन्ट ने किसी भी सिविल न्यायालय से स्वयं को उत्तराधिकारी घोषित नहीं कराया है। बिना किसी आधार के रैस्पोडेन्ट के नाम नामान्तकरण तहसीलदार द्वारा खोला गया है। रैस्पोडेन्ट मृतक श्योनारायण का पुत्र नहीं है। श्योनारायण का एकमात्र वारिस अपीलान्ट है। इस तथ्य को न तो तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकृत करते वक्त जॉच की गई और न ही अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व ही देखा गया। जबकि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत की गई जमाबन्दी में रैस्पोडेन्ट के पिता का नाम दूसरा है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.08.2015 व तहसीलदार सवाई माधोपुर की ओर से स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 464 दिनांक 06.01.1983 निरस्त किया जाकर विवादित भूमि का अपीलान्ट के नाम नामान्तकरण खोले जाने का आदेश दिया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.08.2015 रिकार्ड व तथ्यों पर आधारित होने के कारण उक्त निर्णय में किसी प्रकार की कोई

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है, क्योंकि उक्त निर्णय अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद गुणावगुण के आधार पर पारित किया गया है। अपीलान्ट की ओर से तहसीलदार को नामान्तकरण स्वीकृत किये जाने की क्षेत्राधिकारिता नहीं होने संबंधी आपत्ति प्रथम अपीलीय न्यायालय में नहीं ली गई है। ऐसी स्थिति में अदालत हाजा में उक्त आपत्ति अपीलान्ट की ओर से नहीं की जा सकती है, क्योंकि जो तथ्य अदालत मातहत में नहीं उठाये गये हैं। उन्हें सिरे से अदालत हाजा में नहीं उठाया जा सकता है। उक्त प्रकरण में खातेदार मृतक काना राम के दो पुत्र थे। मृतक अर्जुनसिंह व मृतक श्योनारायण जो आपस में भाई–भाई थे। मृतक अर्जुनसिंह का पुत्र रैस्पोडेन्ट संख्या 1 धनपाल है तथा मृतक श्योनारायण का पुत्र अपीलान्ट रामफूल है। इस प्रकार रैस्पो0 1 धनपाल व अपीलान्ट रामफूल भी पारिवारिक भाई–भाई हैं। जब धनपाल रैस्पो0 1 दो वर्ष का था। तभी उसके पिता अर्जुनसिंह पुत्र कानाराम की मृत्यु हो गई और इस कारण समस्त भूमि श्योनारायण के नाम त्रुटीवश लग गई थी। जबकि नियमानुसार श्योनारायण व धनपाल उसके तत्सयम उत्तराधिकारी थे। उक्त विवादित आराजी के संबंध में उपजिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के यहां रैस्पोडेन्ट के द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया था। जिसमें रैस्पोडेन्ट के पक्ष में उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से डिक्री जारी की गई थी। उक्त निर्णय व डिक्री की प्रति अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध है। वकील रैस्पोडेन्ट ने यह भी तर्क दिया कि जब दोनों पक्षों के बीच किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विस्तृत विवेचन कर निर्णय एवं डिक्री कर दी जाती है तो नामान्तरकरण की कार्यवाही जो समरी इन्क्वायरी की श्रेणी में आती है, चलने योग्य नहीं रह जाती है। अर्थात किसी डिक्री के विरूद्ध नामान्तरकरण में फैसला नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा अपीलान्ट की ओर से अपीलाधीन नामान्तकरण की अपील 17 वर्ष के बिलम्ब से पेश की गई है। जिसका कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया। रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत किये गये रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट एक ही परिवार के सदस्य हैं और पैतृक आराजी के संबंध में प्रस्तुत वाद के संबंध में सक्षम न्यायालय से डिक्री दिनांक 31.12.1976 को हो चुकी है। इसलिए नामान्तकरण की कार्यवाही जो कि एक संक्षिप्त कार्यवाही है, में पृथक से कोई आदेश दिया जाना न्यायोचित नहीं है, क्योंकि सक्षम न्यायालय की ओर से पारित डिक्री को अपीलान्ट की ओर से किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.08.2015 व तहसीलदार सवाई माधोपुर की ओर से स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 464 दिनांक 06.01.83 यथावत रखा जावे।

रिब्यूटल में पुनः वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि राज्य सरकार की ओर से दिनांक 04.09.82 को इस आशय की अधिसूचना जारी की गई है कि 45 दिन तक विरासत के नामान्तकरण को स्वीकृत करने की शक्तियां ग्राम पंचायत में निहित हैं। 45 दिन के बाद ही तहसीलदार नामान्तकरण स्वीकृत कर सकते हैं। इस बिन्दु को अदालत मातहत में नहीं उठाये जाने के आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण

संभागीय आयुक्त ★ भरतपुर संभाग, भरतपुर

21.1.2019
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

वैद्य नहीं हो जाता है, क्योंकि उक्त नामान्तकरण तहसीलदार द्वारा क्षेत्राधिकार के बाहर स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा नामान्तकरण संख्या 464 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त नामान्तकरण किसी डिक्री के आधार पर नहीं खोला जाकर विरासत के आधार पर खोला गया है। इसलिए वकील रैस्पोडेन्ट का यह तर्क कि तहसीलदार द्वारा उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय/डिक्री की पालना में अपीलाधीन नामान्तकरण खोला गया है, सारहीन है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.08.2015 व नामान्तकरण संख्या 464 दिनांक 06.01.83 निरस्त किया जावे व विवादित भूमि का नामान्तकरण अपीलान्ट जो कि मृतक श्योनारायण का वारिस है, के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जावे।

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्टस की ओर से जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में नामान्तकरण संख्या 464 दिनांक 06.01.83 के विरूद्ध अपील पेश की गई। जिसमें उल्लेख किया गया कि विवादित भूमि अपीलान्ट के पिता श्योनारायण के नाम दर्ज थी। जिसकी विरासत का नामान्तकरण अपीलान्ट के नाम ही खोला जाना चाहिए था, परन्तु रैस्पोडेन्ट धनपाल जो कि अर्जुन का पुत्र है, के नाम भी गलत रूप से खोला गया है। अपील के साथ धनपाल के नाम ग्राम एण्डवा में स्थित भूमि की जमाबन्दी की प्रति ग्राम पंचायत एण्डवा की ओर से जारी प्रमाण पत्र की प्रति व अन्य रिकार्ड प्रस्तुत किया गया। जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमें यह उल्लेख किया है कि दोनों पक्षों के बीच किसी न्यायालय द्वारा विस्तृत विवेचन कर निर्णय व डिक्री कर दी जाती है तो उस स्थिति में नामान्तकरण की कार्यवाही जो समरी ट्रायल के अन्तर्गत आती है। सक्षम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिक्री के विरूद्ध अपील (नामा.) में निर्णय दिया जाना विधि अनुरूप नहीं मानते हुए अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज किया है, जो कि उचित नहीं है। क्योंकि जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के समक्ष नामान्तकरण संख्या 464 दिनांक 06.01.83 के विरूद्ध अपील पेश की गई थी। उक्त नामान्तकरण पटवारी हल्का द्वारा किसी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिक्री की पालना में नहीं खोला जाकर खातेदार श्योनारायण के फौत होने के कारण उत्तराधिकारियों के नाम नामान्तकरण भरकर पेश किया गया था। जिसकी भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तुलना करने के बाद तहसीलदार द्वारा इस आशय का नोट अंकित करते हुए कि आज मजमेआम में पेश हुआ उत्तराधिकारी नामान्तकरण धनपाल, रामफूल पुत्र श्योनारायण मीना के नाम स्वीकार है। जबकि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज से यह स्पष्ट है कि रैस्पोडेन्ट धनपाल श्योनारायण का पुत्र नहीं होकर अर्जुन का पुत्र है। उक्त नामान्तकरण में यह कहीं भी उल्लेख नहीं है कि यह नामान्तकरण किसी न्यायालय की ओर से पारित निर्णय/डिक्री की पालना में खोला गया है। जहां तक वकील अपीलान्ट का यह तर्क कि तहसीलदार द्वारा क्षेत्राधिकार के बाहर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

नामान्तकरण खोला गया है, इसलिए मानने योग्य नहीं है, क्योंकि उक्त नामान्तकरण राजस्व अभियान 1983 में खोला गया है तथा राजस्व अभियान के दौरान नामान्तकरण तस्दीक करने की शक्तियां विशेष अधिसूचना के द्वारा राजस्व अधिकारियों को प्रदत्त की जाती है। इसलिए नामान्तकरण क्षेत्राधिकार के बाहर नहीं माना जा सकता है, परन्तु नामान्तकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व मृतक खातेदार के वारिसान की जॉच किये जाने के संबंध में कोई दस्तावेज नामान्तकरण के साथ संलग्न नहीं है। विद्वान जिला कलक्टर ने अपीलाधीन निर्णय में यह माना है कि नामान्तकरण एक समरी ट्रायल है। जिसमें सक्षम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिक्री के विरूद्ध निर्णय दिया जाना विधिसम्मत नहीं है, परन्तु तहसीलदार के समक्ष अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकृत करते समय इस तरह के कोई तथ्य उपलब्ध नहीं थे और न ही नामान्तकरण स्वीकृत करने में ही इसका कोई हवाला दिया। इसके अलावा भी अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली में संलग्न निर्णय दिनांक 31.12.1976 में वर्णित खसरा नम्बरान अपीलाधीन नामान्तकरण में वर्णित खसरा नम्बरान के अनुरूप ही हैं कि पुष्टि भी नहीं होती है। इसलिए नामान्तकरण संख्या 464 दिनांक 06.01.83 व जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.08.2015 को उचित नहीं कहा जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.08.2015 व तहसीलदार सवाई माधोपुर की ओर से स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 464 दिनांक 06.01.83 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार सवाई माधोपुर को इन निर्देशों के साथ प्रेतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने, मृतक खातेदार श्योनाराण के वारिसान के संबंध में विस्तृत जॉच करने के बाद पुनः नये सिरे से नामान्तकरण खोले जाने की कार्यवाही करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 31.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31.1.2024

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर